रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2591] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2014/अग्रहायण 27, 1936
No. 2591] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2014/AGRAHAYANA 27, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3227(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3घ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2296 (अ), तारीख 10 सितम्बर, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) में तारीख 10 सितम्बर, 2014 को प्रकाषित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संषोधन करती हैं, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के हिन्दी रूपान्तर में तालुक नागपुर (ग्रामीण), गांव कापसी खुर्द में–

(i) सर्वेक्षण संख्या 122/10/अ, प्लॉट–6अ के सामने, कालम (8) में प्रविष्टि ''अकृषक'' को प्रविष्टि ''40'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) सर्वेक्षण संख्या 122/10/ब, प्लॉट–6ब के सामने, कालम (8) में प्रविष्टि ''अकृषक'' को प्रविष्टि ''67'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) सर्वेक्षण संख्या 122/13, प्लॉट–11 के सामने, कालम (8) में प्रविष्टि ''अकृषक'' को प्रविष्टि ''30'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी/11013/01/01/2009]

माया प्रकाश, निदेशक

पाद टिप्पणी:—मूल अधिसूचना का.आ. 2296(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2014, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii), तारीख 10 सितम्बर, 2014 में प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 18th December, 2014

S.O. 3227(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3D of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2296 (E), dated the 10th September, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 10th September, 2014 namely:—

In the Hindi version of schedule to the said notification in Taluka Nagpur (Rural), Village Kapsi (Khu.)

(i) Against Survey number 122/10/A, Plot-6A, the entry in Column (8) "Non-Agriculture" shall be substituted by the entry "40".

(ii) Against Survey number 122/10B Plot-6B, the entry in Column (8) "Non-Agriculture" shall be substituted by the entry "67".

(iii) Against Survey number 122/13, Plot-11, the entry in Column (8) "Non-Agriculture" shall be substituted by the entry "30".

[F. No. NHAI/BOT/11013/01/01/2009]

MAYA PRAKASH, Director

Foot Note : The principal notification was published vide S.O. 2296(E), dated the 10th September, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 10th September, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.